भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3918**
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

**विषयः उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट**

**3918. मोहम्मद रकीबुल हुसैनः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वस्तु-विशिष्ट ऑर्गेनिक कल्स्टर की स्थापना से किसानों की आय और बाजार पहुंच में सुधार लाने में किस प्रकार योगदान मिल रहा है;

(ख) एफपीओ/एफपीसी में लघु और सीमांत किसानों की भागीदारी बढ़ाने और सभी राज्यों में समान लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) ऑर्गेनिक उत्पाद के नुकसान को कम करने तथा उसके मूल्य को बढ़ाने हेतु फसलोपरांत अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्या कार्यनीति अपनाई जा रही है; और

(घ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट द्वारा मृदा स्वास्थ्य और जैव विविधता को बनाए रखते हुए इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती की दीर्घकालिक स्थिरता को सुगम बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क) से (ग): वस्तु विशिष्ट जैविक क्लस्टर स्थापित करने के लिए, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नार्थ इस्टर्न रीजन (एमओवीसीडीएनईआर) स्कीम में जैविक खेती में लगे किसानों को एंड-टू-एंड समर्थन यानी उत्पादन से लेकर फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक पर जोर दिया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में प्रमाणित जैविक उत्पादन क्लस्टरों का विकास करना है। फोकस जैविक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) / किसान उत्पादक कंपनियां (एफपीसी) बनाने पर है, जहां छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत, एफपीओ के निर्माण, जैविक इनपुट आदि के लिए किसानों को सहायता के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये / हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से किसानों को डीबीटी के रूप में 15,000 रुपये सहित ऑफ-फार्म / ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32,500 रुपये / हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर और मूल्य संवर्धन के लिए आवश्यकता आधारित सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर स्कीम के तहत, एफपीओ/एफपीसी निर्यात केंद्रित फसलों को बढ़ावा देते हैं, जिन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) स्कीम के तहत मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसी द्वारा तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के तहत प्रमाणित किया जाता है।

(घ): यह सुनिश्चित करने के लिए कि एमओवीसीडीएनईआर सॉईल हेल्थ और जैव विविधता को बनाए रखते हुए क्षेत्र में जैविक खेती की दीर्घकालिक सस्टैनेबिलिटी की सुविधा प्रदान करता है, इस स्कीम में पंजीकृत सभी किसानों/एफपीओ/एफपीसी के लिए सोयल हेल्थ कार्ड (एसएचसी) रखना अनिवार्य है। सॉईल हेल्थ एंड फर्टिलिटी स्कीम के तहत, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) में सॉईल हेल्थ और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। मिट्टी के नमूनों को मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संसाधित किया जाता है और विभिन्न मापदंडों जैसे पीएच, विद्युत चालकता (ईसी), जैविक कार्बन, उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर और सूक्ष्म पोषक तत्वों (जस्ता, तांबा, लोहा, मैंगनीज और बोरॉन) के लिए विश्लेषण किया जाता है। एसएचसी किसानों को मिट्टी की पोषक स्थिति (कम,मध्यम और उच्च) के बारे में जानकारी प्रदान करता है और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक संबंधी सिफारिश करता है।

*****